Office of the Accountant General (A&E), Kerala,
P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039, Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-76/Uttarakhand/2017-18 **Dated: 13/10/2017**

To

All District/Sub Treasury Officers.

Sir,

Sub:Revision in the process of Pension/Gratuity/Family Pension and commutation to the Uttarakhand Government Employees retired on or after 01/07/2016, sanction of Dearness Relief @ 2% with effect from 01/07/2016 and @4% with effect from 01/01/2017 to the pensioners receiving revised pension as a result of accepting the recommendations of Pay Committee, Uttarakhand (2016) in continuation to the decisions taken by the Central Government on the recommendations of Seventh Central Pay Commission reg.

Ref:1.SSA No.Pension/Dearness Relief/Uttarakhand/2017-2018/1019 dated. 24/08/2017 of the Accountant General (A & E), Uttarakhand,Dehradun.
2.Order No.135/2017/45/XXVII(10)/2016 dated 05/05/2017 of Amit Singh Negi, Secretary, Government of Uttarakhand.
3.Corrigandum No. 36/2017/45/XXVII(10)/2016 dated 05/05/2017 of Finance Section-10, Government of Uttarakhand.
4.Office Memorandum No.95/XXVII(7)02/2016 dated 17/05/2017 of Finance (G.R-P.C) Section-7, Government of Uttarkhand.

I am to enclose herewith copies of Orders issued by Finance Department, Government of Uttarakhand on the subject mentioned above and SSA regarding the same issued by the Accountant General(A&E), Uttarakhand, Dehradun in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in). under the link:-"*Treasury endorsement of orders of other states*". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Copy to:-
The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

S/d
Sr. Accounts Officer

II/DRSSA/76 ई-क/सी/208 11/09/2017 5/9/12   PM/2/289/2017-18 - 7/9/17   PM 22/055 31-8-17

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171)

फोन न०: 0135-2644967, फैक्स न०: 0135- 2644965

"विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अंतर्गत"

पत्रांक-पी.ए./पैंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2017-2018/ 1019   दिनांक- 24.08.2017

सेवा में,

1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलोंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6. ✓	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बैंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उडीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रेदश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजौल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500463
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

To Hindi Cell.
Pl. translate to English (23+4 Pages).

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2017-18/ दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान/महालेखाकार (लेखा एवं हक़)

विषय- सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियो पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियो को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01/01/2016 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवको को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रकिया में संशोधन | पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरो को 01 जुलाई 2016 से महंगाई राहत 02% तथा 01 जनवरी 2017 से महंगाई राहत 04% की स्वीकृति |

सन्दर्भ - (1) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-135/2017/45/XXVII(10)/2016 दिनांक- 05/05/2017

(2) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-136/2017/45/XXVII(10)/2016 दिनांक- 05/05/2017

(3) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-95/XXVII(07)/02/2016 दिनांक-17/05/2017

(4) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-297/XXVII(07)/02/2016 दिनांक-30/12/2016

महोदय,

वित विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त आदेशो की प्रतियाँ संग्लन कर प्रेषित की जा रही है | अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारीयों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें |

संलग्न-यथोपरि

भवदीय

(हस्ताक्षर)

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

3

32

संख्या 135 /2017/45/XXVII(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 05 मई, 2017

विषय– सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा किए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को सविकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2016 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 266/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–12 में प्राविधान किया गया था कि "पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं ग्रेच्युटी की दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन के सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 जनवरी, 2016 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों के पुनरीक्षित प्राधिकार–पत्र के आधार पर पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन, राशिकरण एवं नकदीकरण की देयता के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या /2017/45/XXVII(10)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/क्षितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।